पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 155/2021

अनवान :

प्रताप पुत्र मल्लाराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. मल्लाराम पुत्र शिम्भुड़ा जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. बलवन्त सिह पुत्र मल्लाराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. निर्मला पुत्री मल्लाराम पत्नी दलीप जाति जाट निवासी घेऊ हाल कलाना तहसील भादरा।
4. कृष्णा पुत्री मल्लाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी घेऊ हाल कलाना तहसील भादरा।
5. राजरथान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री अमित देहडू एवं वकील प्रतिवादीगण श्री खेताराम कस्वां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एव वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 243/260 के खसरा सं0 686/2 की कुल 5.0460है0 बारानी खातेदारी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मल्लाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मल्लाराम अकेले की बजाए वादी प्रताप, प्रतिवादी सं0 1 मल्लाराम व प्रतिवादी सं0 2 बलवन्त सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़।

Scanned with CamScanner